### <u>न्यायालय: – सदस्य, प्र0अति०मो०दु०दा०अधि० बालाघाट</u> श्रृं<u>खला न्यायालय बैहर</u>

## (पीठासीन अधिकारी- वाचस्पति मिश्र)

<u>मो0दु0दा0 क्रमांक —91/2017</u>

<u>संस्थित दिनांक –26.11.2015</u> F.No.MACC/230/2017

मूलचंद पटले आयु 49 वर्ष पिता भोलाराम पटले निवासी—ग्राम मोहगाव पोस्ट डोंगरिया तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — <u>आवेदक</u>

### -// <u>विरूद</u> //-

संजय मर्सकोले उम्र 18 वर्ष पिता तुलसीराम गोंड {aiहन चालक} निवासी—सुंदरवाही पुलिस चौकी उकवा तहसील बैहर जिला बालाघाट
 नैनसिंह मड़ावी पिता तोपसिंह गोंड {aiहन स्वामी} निवासी—उकवा पुलिस चौकी उकवा तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

आवेदक द्वारा श्री हेमेन्द्र बिसेन अधिवक्ता। अनावेदकगण पूर्व से अनुपस्थित।

### -/// <mark>अधिनिर्णय</mark> ///-(आज दिनांक **09 मई 2018** को घोषित)

- 1. आवेदक मूलचंद ने यह मोटर दुर्घटना दावा दिनांक 11.07.2015 को शाम 04:20 बजे ग्राम बीजाटोला शिवचंद चौकसे के घर के पास वाहन मोटरसायकल कमांक एम.पी. 50 एम.ए. 7347 द्वारा दुर्घटना कारित किए जाने पर स्थायी अपंगता आने से अनावेदकगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है।
- 2. आवेदक के आवेदन पत्र का सार यह है कि आवेदक मूलचंद उम्र 49 वर्ष उकवा तहसील बैहर जिला बालाघाट का निवासी ग्राम पंचायत में सचिव के पद पर कार्यरत होकर 15,000/-रू. प्रतिमाह आय अर्जित करता था। दिनांक 11.07.2015 को शाम करीब 04:20 बजे मोटरसायकल में बैठकर परसवाड़ा आ रहा था। बीजाटोला के आगे पहुंचा तभी अनावेदक कमांक 1 ने उतावलेपन एवं लापरवाहीपूर्वक ढंग से वाहन कमांक एम.पी. 50 एम.ए. 7347

को चलाकर आवेदक के वाहन को पीछे से टक्कर मार दी जिससे वह रोड पर गिर गया, गिरने से बाएं हाथ, दाहिने पैर में गंभीर चोटें हुई। अनावेदक क्रमांक 1 मूलचंद के विरूद्ध थाना परसवाड़ा में अपराध क्रमांक 85/15 संस्थित किया गया है।

- 3. आवेदक मूलचंद को दुर्घटना से स्थायी असमर्थतता कारित हुई है। दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी अनावेदक क्रमांक 2 है, जिसे घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 1 संजय मर्सकोले चालन कर रहा था। दुर्घटना होने से आवेदक के औषि, ऑपरेशन में होने वाली मद की क्षित 3,00,000/—रू, शारीरिक मानसिक क्लेश हेतु 1,00,000/—रू, भविष्य में ईलाज पर व्यय 1,00,000/—रू, स्थाई अपंगता एवं आजीवन क्षतिपूर्ति हेतु व्यय राशि के मद में 100,000/—रू, आवागमन में हुआ व्यय 50,000/— इस प्रकार कुल 6,50,000/—रू. की क्षतिपूर्ति के लिये दावा प्रस्तुत किया है तथा उक्त राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिलाए जाने तथा वाद व्यय दिलाए जाने की याचना की है।
- 4. अनावेदक क्रमांक 1 व 2 ने जवाबदावा पेश नहीं किया है। अवधार्य प्रश्न यह है कि :—

क.	अवधार्य प्रश्न	निष्कर्ष À
1	क्या आवेदक का दावा डिकी योग्य है ?	हॉ 🦚
2	क्या आवेदक, अनावेदकगण से प्रतिकर राशि प्राप्त करने का अधिकारी है ? यदि हॉ तो कितना और किससे ?	अधिनिर्णय की कंडिका 11 के अनुसार देय।
3	सहायता एवं व्यय ?	दावा स्वीकार।

# <u>अवधार्य प्रश्न कमांक 1 का निष्कर्ष</u> :—

5. मूलचंद (आ.सा.1) ने यह व्यक्त किया है कि दिनांक 11.07.15 को करीब 04:30 बजे बीजाटोला रोड से जा रहा था तभी मोटरसायकल क्रमांक एम.पी. 50 एम.ए. 7347 के चालक अनावेदक क्रमांक 1 ने लापरवाहीपूर्वक ढंग से आकर पीछे से उसे टक्कर मार दिया। जिससे उसे बाएं हाथ, पैर में फैक्चर आया तथा दाहिने पैर में चोट आयी तथा उसकी मोटरसायकल भी क्षतिग्रस्त हो गई। जहाँ से उसे ईलाज हेतु प्राथमिक केन्द्र परसवाडा ले जाया गया एवं जिला चिकित्सालय बालाघाट रेफर किया गया तथा प्रायवेट हॉस्पीटल में सर्जरी की गई एवं हाथ में रॉड डाली गई। घटना के संबंध में थाना परसवाडा में अपराध कमांक 85/2015 पंजीबद्ध कराया। आवेदक ने दावे के समर्थन में अंतिम प्रतिवेदन प्र.ए. 1, प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.ए. 2, अपराध विवरण फार्म प्र.ए. 3, मुलाहिजा आवेदन प्र.पी. 4, वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्र.ए. 5, गिरफ्तारी पत्रक प्र.ए. 6, सम्पत्ति जप्ती पत्र प्र.ए. 7, प्र.ए. 8 तथा उपचार संबंधी दस्तावेज एवं बिल प्र.ए. 9 लगायत प्र.ए. 25 तक अभिलेख पर प्रस्तुत कर प्रवर्शित कराया है।

- 6. अतः उक्त दुर्घटना में आहत / याचिकाकर्ता को चोंटे आने की पुष्टि मेडिकल प्रपत्रों से होती है जिसमें आहत मूलचंद पटले की रेडियस हड्डी में फैक्चर होना पाया जाता है। आहत / याचिकाकर्ता का बयान अभिलेख पर रिशर है।
- 7. इसके विपरीत उक्त दुर्घटना कारित करने वाले यान के चालक ने अपना परीक्षण नहीं कराया है। अतः खंडन के अभाव में आहत / याचिकाकर्ता मूलचंद पटले का बयान अभिलेख पर यथावत है। डोमेश पटले (आ.सा.2) ने व्यक्त किया है कि वह घटना से 20 फिट दूरी पर था जहाँ से उसने घटना देखी है तब अनावेदक कमांक 1 ने वाहन कमांक एम.पी. 50 एम.ए. 7347 को लापरवाही ढंग से चलाकर पीछे से आकर मूलचंद को हक्कर मार दिया जिससे उसे बाएं हाथ, कलाई में चोंटे आयी तथा उपस्थित और उपस्थित लोगों ने उसे परसवाडा के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया था। अर्थात् दुर्घटनास्थल के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी डोमेश पटले (आ.सा.2) ने आहत मूलचंद पटले के बयान का अनुसमर्थन किया है। खंडन के अभाव में आहत साक्षी का बयान अभिलेख पर स्थिर है। आहत / याचिकाकर्ता ने मेडिकल एक्सपर्ट का परीक्षण नहीं कराया है।

उक्त दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप आहत / याचिकाकर्ता मूलचंद को स्थायी अपंगता कारित हुई है।

8. निष्कर्ष यह है कि घटना दिनांक 11.07.2015 को अनावेदक कमांक 1 द्वारा वाहन कमांक एम.पी. 50 एम.ए. 7347 को लापरवाहीपूर्वक ढंग से चलाकर आहत / याचिकाकर्ता मूलचंद पटले को टक्कर मारकर रेडियस हड्डी में फैक्चर कारित किए जाने का तथ्य प्रमाणित पाया जाता है। तद्नुसार अवधार्य प्रश्न कमांक 1 का निष्कर्ष दिया जाता हैं।

### अवधार्य प्रश्न कमांक 2 का निष्कर्ष :-

- 9. मूलचंद पटले (आ.सा.1) ने व्यक्त किया है कि दुर्घटना के पूर्व वह पंचायत में सचिव का कार्य करता था जिससे उसे प्रतिमाह 15,000 / —रूपए वेतन प्राप्त होता था। उक्त दुर्घटना के पश्चात आहत समान पद पर कार्यरत है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप उसे भविष्य की क्षतिपूर्ति घटित है।
- 10. अभिलेख पर यह आया है कि उक्त दुर्घटना से आहत की रेडियस हड्डी में फैक्चर घटित होने का तथ्य प्रमाणित पाया गया है। अतः फैक्चर के मद में 25,000/—रूपए, मेडिकल बिल के मद में 35,000/—, पौष्टिक आहार के मद में 5,000/—, आवागमन के मद में 2,000/— दिलाया जाना न्यायसंगत है। अतः आवेदक/याचिकाकर्ता कुल क्षतिपूर्ति राशि (25000+35000+5000+2000) = 67,000/- रूपए प्राप्त करने का अधिकारी है जो कि जस्ट कंम्पनसेशन की श्रेणी में आता है। अतः आवेदक/याचिकाकर्ता मूलचंद पटले उक्त क्षतिपूर्ति राशि 67,000/- रूपए अनावेदक कमांक 1 व 2 से संयुक्ततः एवं पृथकतः अवार्ड राशि 67,000/—रूपए प्राप्त करने का अधिकारी है।
- 11. प्रस्तुत प्रकरण के निराकरण हेतु मेरे द्वारा न्याय दृष्टांतः— '' कविता बनाम दीपक एवं अन्य 2012 (8) सुप्रीम कोर्ट केसेशा'' 604 का अनुशरण किया गया है। उक्त राशि आवेदक मूलचंद, अनावेदकगण से संयुक्तः एवं

पृथकतः पाने का पात्र हैं। तद्नुसार अवधार्य प्रश्न कमॉक—2 का निष्कर्ष दिया जाता हैं।

#### सहायता एवं व्यय :-

- 1— अवधार्य प्रश्न कमांक 1 से 3 के निष्कर्षों के प्रकाश में आहत / याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र अंशतः स्वीकार किया जाकर निम्न आशय का अधिनिर्णय दिया जाता हैं :—
- 1— आवेदक, अनावेदकगण से संयुक्तः एवं पृथकतः 67000 / सङ्सठ हजार) रूपए क्षतिपूर्ति स्वरूप पाने का पात्र हैं। यदि उसे अंतरिम क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई हैं तो उक्त राशि उसमें से समायोजित की जाय।
- 2— आवेदक उक्त राशि पर आवेदन दिनॉक से भुगतान तिथि तक 7% वार्षिक साधारण दर से ब्याज राशि भी अनावेदकगण से पाने का पात्र है।
- 3 अनावेदकगण स्वयं के वाद—व्यय के साथ आवेदक का वाद—व्यय भी वहन करेंगे।
- 4— राशि जमा होने पर आवेदक मूलचंद पटले को 67,000 / —रूपए (सड़सठ हजार) रूपये उसके बैंक खाते में एकाउंट पेय चेक के माध्यम से जमा कराया जावे।
- 5— अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगा ।
- 6— तद्नुसार व्यय—तालिका बनाई जाए।

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

09 मई 2018.

सही / – (वावस्पति मिश्र)

प्र0अति0मो0दु0दा0अधि0 बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर

### -:: व्यय तालिक

-		~~~	
क	विवरण	आवेदक	अनावेदक क. 1, 2
1.	वाद पत्र पर शुल्क	10-00	-
2.	आवेदन पत्र पर शुल्क 🥂	10.00	-
3.	वकालतनामा पर शुल्क	20.00	10.00
4.	दस्तावेज पर शुल्क	-	The state of the s
5.	अधिवक्ता फीस	1000.00	1000.00
6.	आदेशिका शुल्क व अन्य	-	1600
	त्य गार्मि	1040.00	1010.00
4	आदेशिका शुल्क व अन्य योग —	ALLEY BOTON IN THE BOTON	सही / (वाचस्पति सदस्य प्र0अति०मो०दु०दा०अ श्रृंखला न्यायाल

THERE SHOWER HELD SHOWER HELD SHOWER SHOWER

सही / – (वाचस्पति मिश्र) प्र0अति0मो 0 दु 0 दा 0 अधि 0 बाला घा ट श्रृं खला न्यायालय बैहर